परिशिष्ट : ए

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश

निर्णय की तिथिः–11.05.2026

सत्र वाद संख्या : 677 / 2024

भगवानपुर थाना कांड सं0–182 / 2018

CNR- BRVA01-011196-2024

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री ख्वाजा हसन खां
अभियुक्तगण	1–अनिल राय, पे0–स्व0 विरेन्द्र राय, 2–सुनील राय, पे0–स्व0 विरेन्द्र राय, 3–सुधीर कुमार, पे0–स्व0 सुरेन्द्र राय, सभी साकिन–अकबरपुर, थाना–भगवानपुर जिला–वैशाली।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	1. श्री विजय कुमार सिंह, 2. श्री लालेश्वर कुमार सिंह

अपराध की घटना तिथि	04.10.2018
प्राथमिकी की तिथि	24.10.2018
आरोप पत्र की तिथि	30.05.2019
संज्ञान की तिथि	07.09.2019
आरोप गठन की तिथि	15.05.2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	21.06.2025
निर्णय पर नियत की तिथि	07.05.2026
निर्णय की तिथि	11.05.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	-------

परिशिष्ट : बी

अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त का क्रमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	अनिल राय,
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	30.07.2024
जमानत पर मुक्त की तिथि	30.07.2024
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34,

Web Copy not Official

	308 / 34 एवं 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 वर्ष 00 माह, 00 दिन

अभियुक्त का क्रमांक	A-2
अभियुक्त का नाम	सुनील राय,
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	30.07.2024
जमानत पर मुक्त की तिथि	30.07.2024
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 308 / 34 एवं 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 वर्ष 00 माह, 00 दिन

अभियुक्त का क्रमांक	A-3
अभियुक्त का नाम	सुधीर कुमार,
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	24.07.2024
जमानत पर मुक्त की तिथि	24.07.2024
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 308 / 34 एवं 504 / 34
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 वर्ष 00 माह, 00 दिन

Web Copy not Official

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–01	बालदेव राय	(पक्षद्रोही) साक्षी
पी0डब्लू0–02	डोमन राय	(पक्षद्रोही) साक्षी
पी0डब्लू0–03	हरिनाथ राय	(पक्षद्रोही) साक्षी
पी0डब्लू0–04	पंकज कुमार	(सूचक) साक्षी
पी0डब्लू0–05	रंजन कुमार	साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–01	लिखित फर्दबयान

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

उपस्थित : **मनोज कुमार तिवारी,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।

Web Copy Not Official

निर्णय

1. उपरोक्त नामित 03 अभियुक्तगण का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 308 / 34 एवं 504 / 34 के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, सूचक दिनांक–04.10.2018 को समय करीब साढ़े आठ बजे रात्रि में खाना खाकर टहल रहा था। इसी बीच सूचक के बगलगीर सुरेन्द्र राय, अनिल राय अपने हाथ में दाब लिये हुए, सुनील राय अपने हाथ में फरसा लेकर गाली देते हुए सुरेन्द्र राय बोले कि यही साला पंकजवा है, पकड़ों और सूचक को पकड़ लिये और अनिल राय अपने हाथ में लिये दाब से जान मारने के नियत से सूचक के सर पर ताबड़तोड़ चलाने लगे जिससे सूचक के सिर पर कट गया। सूचक जब हल्ला किया तो उसका छोटा भाई रंजन कुमार बचाने आया तो सुनील राय हाथ में लिये फरसा से सूचक के भाई के सिर पर ताबड़तोड़ जान मारने की नियत से चलाने लगे जिससे भाई के सिर पर कई जगह कट गया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। इसी बीच सुधीर कुमार, मीना देवी अपने हाथ में हसुआ लेकर आयी और चलाने लगी जिससे सूचक के बांया कांख के पास हसुआ से लगा और सुधीर कुमार सूचक के अंडकोष पर लात से मारने लगा। हल्ला पर जब गांव के लोग जुटने लगे तो मीना देवी सूचक के गले से सोना के चैन छीनकर लेकर चला गया। इसी बीच सूचक के पिताजी जब हमलोगों को उठाकर अस्पताल ला रहे थे तो उनके साथ भी वो लोग धक्का–मुक्की एवं मारपीट किये हैं। झगड़ा का कारण पूर्व दुश्मनी है।

3. सूचक के फर्दबयान पर दर्ज भगवानपुर थाना कांड सं0–182 / 2018, दिनांक–24.10.2018, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 308 / 34 एवं 504 / 34 के अनुसंधानक द्वारा काण्ड सत्य पाते हुये विचारित 03 अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में अभियुक्तगण का आरोप पत्र सं0–69 / 2019, दिनांक–30.05.2019 समर्पित किया गया है।

4. समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी पर सम्यक विचारोपरान्त इस मामले के विचारित उपरोक्त 03 अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341, 323, 324, 308 एवं 504 / 34 के अंतर्गत, दिनांक–07.09.2019 को संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक–10.09.2024 को यह मामला विचारणार्थ सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है।

Web Copy Not Official

5. विचारित 03 अभियुक्तगण के विरूद्व दिनांक–15.05.2025 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 308 / 34 एवं 504 / 34 में आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुये विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन की तरफ से इस मामले में कुल 05 साक्षियों का गवाही करायी गई है, जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–01 बालदेव राय (पक्षद्रोही साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–02 डोमन राय (पक्षद्रोही साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–03 हरिनाथ राय (पक्षद्रोही साक्षी) अभियोजन साक्षी सं0–04 पंकज कुमार (सूचक साक्षी) एवं अभियोजन साक्षी सं0–05 रंजन कुमार (जख्मी साक्षी) हैं।

Web Copy not Official

7. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत विलेखिय दस्तावेजी साक्ष्य मात्र एक प्रस्तुत किया गया है।

8. अभियोजन साक्ष्य बंद कर 03 अभियुक्तगण का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत दिनांक–07.05.2026 को लिया गया, जिसमें वह अपने को निर्दोष बताते हुये कहा है कि अभियोजन का मामला झूठा है।

9. प्रतिरक्षा की तरफ से इस मामले में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारित 03 अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं ?

म न त व य

11. अभियोजन की तरफ से अभियुक्त के विरूद्व इस मामले में विरचित आरोपों को साबित किये जाने हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उनमें **अभियोजन साक्षी सं0–04 पंकज कुमार (18.03.2026)** अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। मैंने ही यह मुकदमा किया है। दिनांक–04.10.2018 को 08:30 बजे रात्रि में खाना खाकर टहल रहा था तो हमारे बगलगीर सुरेन्द्र, अनिल, सुनील आये और हमको गाली देने लगे और हमको पकड़ लिये तथा हमारे हाथ पर दाब से मारे बचाने के लिए सुनील आया तो उसको भी फरसा से उपरोक्त लोग मार दिये, जिससे उसको भी चोट लगा। सुधीर और मीना देवी भी आयी और ये दोनों भी हमको मारे। हल्ला पर गॉव के लोग एकत्रित हो गए तो मीना देवी मेरे गले से सोने का चैन छीन लिये। रेफरल अस्पताल लालगंज ईलाज के लिए

हमको ले जाया गया, वहां पर ही लालगंज थाना की पुलिस आयी और मेरा फर्दबयान लिया, फर्दबयान को सही पाकर मैंने अपना हस्ताक्षर किया और हरिनाथ राय ने भी अपना हस्ताक्षर किये। यह वहीं फर्दबयान हैं, जिसे मैं पहचानता हूॅ। फर्दबयान को पी0डब्लू0–04 / प्रदर्श–01 अंकित किया जाता है। मैं मुदालहों को पहचानता हूॅ। अभियुक्तों की ओर से द0प्र0स0–317 का आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–04 एवं 05 में इस साक्षी ने बताया है कि मुदालहगण मेरे पड़ोसी हैं, जिस कारण मैं उन्हें जानता हूॅ। घटना रात्रि के समय हुआ था अंधेरी रात्रि होने के कारण मैं यह नहीं बता सकता हूॅ कि किसने हमें और मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट किया। गॉव के लोगों द्वारा हल्ला करने पर एवं संदेह के आधार पर मैंने अभियुक्तों का नाम इस मुकदमा में दे दिया था और यही बात अन्य गवाहों के बताए थे, जिस आधार पर अन्य गवाहों ने अपना साक्ष्य दिया था। सही बात की जानकारी होने पर हमलोगों ने स्वेच्छा से मुकदमा सुलह कर लिया है। सुलहनामा एवं अनुमति पत्र पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर व निशान बना दिये हैं। सुलह के आधार पर मुकदमा समाप्त हो जाए तो मुझे भविष्य में आपत्ति नहीं होगी। साक्षी विनय राय पिता–स्व0 शंकर राय मेरे ग्रामीण हैं, जिसकी वर्तमान समय में मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण मैं इनकी गवाही नहीं करा सकता हूॅ।

Web Copy Not Official

12. **अभियोजन साक्षी सं0–05 रंजन कुमार (18.03.2026)** अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना आठ साल पहले की है। रात्रि का समय था। उस समय मैं घर पर था। सुरेन्द्र, अनिल एवं अन्य लोग आये और मेरे भाई पंकज कुमार के साथ गाली–गुप्ता किये तथा मारपीट किये। मेरा भाई जख्मी हो गया, जब मैं बचाने गया तो मेरे साथ भी मारपीट किया। मेरा भी ईलाज अस्पताल में हुआ था। मैं मुदालहों को पहचानता हूॅ। अभियुक्तों की ओर से द0प्र0स0–317 का आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–03 एवं 04 में इस साक्षी ने बताया है कि मुदालहगण मेरे ग्रामीण हैं जिस कारण मैं उन्हें जानता हूॅ। घटना रात्रि के समय हुआ था इसलिए मैं यह नहीं बता सकता हूॅ कि किसने और किस वस्तु से मारा। हमलोगों ने स्वेच्छा से मुकदमा सुलह कर लिया है। सुलहनामा एवं अनुमति पत्र पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर व निशान बना दिये हैं। सुलह के आधार पर मुकदमा समाप्त हो जाय तो मुझे भविष्य में कोई आपत्ति नहीं होगी। अंधेरी रात्रि होने के कारण मैं मारने वाले को नहीं देख पाया था।

13. **अभियोजन साक्षी सं0–01 बालदेव राय (17.02.2026)** (पक्षद्रोही) साक्षी अपने साक्ष्य में कहा हैं कि, घटना की जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तत्पश्चात्

इनके पूर्व के बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तरफ इनका ध्यान आकृष्ट कराते हुये इनका खण्डन किया गया है।

14. **अभियोजन साक्षी सं0–02 डोमन राय (17.02.2026)** (पक्षद्रोही) साक्षी अपने साक्ष्य में कहा हैं कि, घटना की जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तत्पश्चात् इनके पूर्व के बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तरफ इनका ध्यान आकृष्ट कराते हुये इनका खण्डन किया गया है।

15. **अभियोजन साक्षी सं0–03 हरिनाथ राय (17.02.2026)** (पक्षद्रोही) साक्षी अपने साक्ष्य में कहा हैं कि, घटना की जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तत्पश्चात् इनके पूर्व के बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तरफ इनका ध्यान आकृष्ट कराते हुये इनका खण्डन किया गया है।

Web Copy not Official

16. उभय पक्षों का बहस सुना। अभियोजन का तर्क है कि सूचक के साथ गाली–गलौज तथा मारपीट एवं सोने का चैन छीनने की बात अपने मुख्य परीक्षण में कहा है।

इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल पांच साक्षियों में से तीन साक्षी पक्षद्रोही साक्षी हैं, जबकि अभियोजन साक्षी सं0–04 एवं अभियोजन साक्षी सं0–05 ने भी घटना का पूर्णरूप से समर्थन नहीं किया है।

17. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल पांच साक्षियों में से अभियोजन साक्षी सं0–01, 02 एवं 03 पक्षद्रोही साक्षी हैं, जबकि अभियोजन साक्षी सं0–04 पंकज कुमार साक्षी, जो कि इस केस का सूचक हैं तथा अभियोजन साक्षी सं0–05 प्राथमिकी का जख्मी साक्षी है। अतः विधि के दृष्टि में ये महत्वपूर्ण साक्षी है।

अभियोजन साक्षी सं0–04 पंकज कुमार, जो कि इस वाद का सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा मेरे साथ गाली–गलौज एवं मारपीट तथा सोने का चैन छीनने की बात कहा गया है। परन्तु प्रति–परीक्षण में साक्षी ने मुख्य–परीक्षण में कहे गये तथ्यों के विपरीत स्पष्ट रूप से कहा है कि मुदालहगण मेरे पड़ोसी हैं, जिस कारण मैं उन्हें जानता हूँ। घटना रात्रि के समय हुआ था, अंधेरी रात्रि होने के कारण मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि किसने हमें और मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट किया। गॉव के लोगों द्वारा हल्ला करने पर एवं संदेह के आधार पर मैंने अभियुक्तों का नाम इस मुकदमा में दे दिया था और

यही बात अन्य गवाहों के बताए थे, जिस आधार पर अन्य गवाहों ने अपना साक्ष्य दिया था। सही बात की जानकारी होने पर हमलोगों ने स्वेच्छा से मुकदमा सुलह कर लिया है। सुलहनामा एवं अनुमति पत्र पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर व निशान बना दिये हैं। सुलह के आधार पर मुकदमा समाप्त हो जाए तो मुझे भविष्य में कोई आपत्ति नहीं होगी। साक्षी विनय राय पिता–स्व0 शंकर राय मेरे ग्रामीण हैं, जिसकी वर्तमान समय में मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण मैं इनकी गवाही नहीं करा सकता हूँ। अभियोजन साक्षी सं0–05 रंजन कुमार, जो कि प्राथमिकी के जख्मी साक्षी हैं, ने भी प्रति–परीक्षण में कहा है कि घटना रात्रि के समय हुआ था इसलिए मैं यह नहीं कह सकता हूं कि किसने और किस हथियार से मारा। अतः जबकि साक्षी ने प्रति–परीक्षण में घटना का समर्थन ही नहीं किया है तो उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में घटना का आंशिक समर्थन कोई विधिक महत्व नहीं रखता है।

अतः केवल प्राथमिकी में दर्ज कराये गये तथ्यों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोष–सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला संदेह से परे साबित नहीं हो पाया है। इसलिए अभियुक्तगण को दोष–मुक्त किया जाता है।

Web Copy not Official

आदेश

18. अतः अभियुक्तगण : **01. अनिल राय,** पे0–स्व0 विरेन्द्र राय, **02. सुनील राय,** पे0–स्व0 विरेन्द्र राय एवं **03. सुधीर कुमार,** पे0–स्व0 सुरेन्द्र राय, सभी साकिन–अकबरपुर, थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली को उनपर लगाए गए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–**341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 308 / 34 एवं 504 / 34** से उन्हें निर्दोष पाकर दोष मुक्त किया जाता है दोषमुक्त अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
11.05.2026

लेखापित

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
11.05.2026

Date of Judgment/Order	11-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	07-05-2026
Uploading Date	12-05-2026
Uploaded by	Anand Kumar

Web Copy not Official